

कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

आदेश

अपर जिलाधिकारी प्रशासन, बुलन्दशहर के पत्रांक 4577/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक सी0एम0ओ0/कोविड-19/2020 दिनांक 08.09.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आज दिनांक 08.09.2020 को श्रीमती अनुप्रति यादव (अधिवक्ता) पत्नी पिन्दु यादव एवं श्री अनुपम यादव (अधिवक्ता), जिला न्यायालय, बुलन्दशहर, जो न्यायालय परिसर जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में कार्यरत है। इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय परिसर का सैनेटाईजेशन करते हुए 48 घण्टे न्यायालय परिसर बंद करने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1117/सीपीसी/ईकोर्ट/इलाहाबाद दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में दिनांक 09.09.2020 व दिनांक 10.09.2020 को जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर सैनेटाईजेशन कराने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु बन्द रहेगा तथा दिनांक 11.09.2020 को न्यायालय/कार्यालय यथावत खुलेंगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक-08.09.2020

प्रभारी जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिक निम्नलिखित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
- 3 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 4 अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर।
- 5 अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर।
- 6 जेल अधीक्षक, बुलन्दशहर।
- 7 जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 8 सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड करने के लिए।
- 9 समस्त/न्यायालय एवं कार्यालय।

दिनांक-08.09.2020

प्रभारी जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।